

# राजस्थान वित्त निगम

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

## सीमित निविदा का प्रारूप

1	कार्य का नाम	राजस्थान वित्त निगम के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लेखों का मिलान एवं अंकेक्षण का कार्य जो कि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट कम्पनी/फर्म द्वारा किया जाना है।
2	अनुमानित लागत	रु. 50,000/- प्लस GST अतिरिक्त
3	फर्म का नाम	
4	फर्म का पता	
5	फर्म का सी.ए.जी. रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
6	टेलीफोन/मोबाइल नम्बर	
7	फर्म का जी.एस.टी. नंबर (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
8	पैन नं.	
9	सीमित निविदा की प्रस्तुत दर	

सभी प्रावधान आर.टी.टी.पी. एक्ट, 2012 एवं आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के तहत प्रभावी होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता

संलग्न - सीमित निविदा शर्तें



# राजस्थान वित्त निगम

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर  
निविदा के नियम एवं शर्तें

1. राजस्थान वित्त निगम के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लेखों का मिलान एवं अंकेक्षण का कार्य जो कि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट कम्पनी/फर्म द्वारा किया जाना है।
2. निविदादाता जीएसटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना आवश्यक है जो कि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म या कम्पनी हो।
3. न्यूनतम दर दिये जाने वाले निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने के बाद कार्य प्रारम्भ कर जीएसटी अधिनियम के अनुसार एवं निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा। वर्तमान में अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 है।
4. सीमित निविदा प्रपत्र लिफाफे में सील बन्द कर कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय तक प्रस्तुत करना होगा।
5. कार्य पूर्ण होने के पश्चात निविदादाता द्वारा बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
6. न्यूनतम निविदादाता को कुल निविदा का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में कार्यादेश प्राप्त होने के 15 दिन में जमा कराने होंगे। जो कि निविदादाता द्वारा कार्य के संतोषप्रद समाप्ती एवं बिल के भुगतान के बाद लौटा दिये जायेगे।
7. उक्त निविदा को अस्वीकार/ निरस्त करने के समस्त अधिकार निगम में निहित होंगे।
8. दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निगम के प्रबन्ध निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा। विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
9. निविदा में जो दर दर्शायी जाये वह बिना जीएसटी होनी चाहिए तथा लागू जीएसटी की राशि पृथक रूप से दर्शायी जावे जिससे कि निविदा दर का तुलनात्मक विश्लेषण कमेटी द्वारा किया जा सकें।
10. निविदादाता का सीएजी में सूचीबद्ध होना एवं फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है अन्यथा निविदादाता को निविदा में शामिल नहीं किया जावेगा।
11. निविदादाता पर आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं रूल्स 2013 के सभी प्रावधान लागू होंगे।
12. उपरोक्त उल्लेखित नियम एवं शर्तें निविदादाता को मान्य होंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील